(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1402—तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 24—04—2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़, जिला—सागर द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ—70/2013—14

1— तुलसीराम तनय सरजूप्रसाद विश्वकर्मा
2— चिंतामन तनय ऊदल विश्वकर्मा,
दोनों निवासी—अमरमऊ, हाल शाहगढ़,
तह0 शाहगढ़, जिला—सागर म0प्र0 .... आवेदकगण

विरूद्ध

मुस्तकीउल्लाह तनय फहीमउल्लाह खॉन
निवासी—अमरमऊ, तह0 शाहगढ़,
जिला—सागर म0प्र0 .... अनावेदक

....

श्री बी0सी0 जैन अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम0एल0 पाटस्कर, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/12/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़, जिला—सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—04—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने दिनांक 07.03.2014 को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत एक आवेदन न्यायालय तहसीलदार, शाहगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें मौजा अमरमऊ पटवारी हल्का नंबर 20 हैक्टेयर सर्किल

शाहगढ़, जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 2982 रकबा 1.47 हैक्टेयर पर से आवेदकगण को बेदखल कर कब्जा वापस दिलाये जाने का निवेदन किया है । न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–70/2013–14 दर्ज किया जाकर आवेदकगण को जवाब प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया । आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.04.2014 को पेश कर विवादित भूमि के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 से दुखी होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका में यह आक्षेप उठाया है कि विचारण न्यायालय से जारी किए गए नोटिस पेशी दिनांक 14.03.2014 में राजस्व न्यायालय प्रकरण क्रमांक अंकित नहीं है, नोटिस में तहसीलदार शाहगढ़ के हस्ताा‍क्षर नहीं है एवं धारा 250 के आवेदन पत्र में मुख्य तथ्य समाहित नहीं है कि आवेदकगण ने किस भूमि पर, कितनी भूमि पर, किस दिनांक को, किस तरह, कब से और कैसे जबरन कब्जा किया है । आवेदन के पैरा क्रमांक 06 में स्वयं आवेदकगण ने लेख किया है कि दिनांक 15.12.2013 को सीमांकन होने व फील्ड बुक, नक्शा की प्रति प्राप्त होने पर आवेदकगण द्वारा किए गए अवैध कब्जा के बारे में जानकारी हुई, आवेदकगण को अपने जीवनकाल में 40–45 वर्षों से यह जानकारी नहीं है । इनकी भूमि पर आवेदकगण कब से काबिज है उन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि यह भूमि उन्हीं की है या किसी दूसरे की जब आवेदकगण को स्वयं अपनी भूमि का ज्ञान अपने जन्म से ही नहीं है व आवेदकगण उक्त भूमि पर कितने वर्षों से व कैसे किस तरह से अवैध रूप से काबिज चला आ रहा है तो धारा 250 का आवेदन लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । आवेदकगण के आवेदन पत्र में कहीं भी फसल बो लेने के आधार पर कब्जा करना नहीं लिखा है जबकि न्यायालय तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 07.03.2014 में फसल बो ली है ऐसा उल्लेख किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा न्यायालय चतुर्थ न्यायाधीश सागर में व्यवहारवाद क्र0 34–अ/2012 प्रस्तुत किया गया था जो कि विचाराधीन है । उक्त

प्रकरण के संबंध में न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश सागर द्वारा न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ को न्यायालय के पत्र क्रं0 285/न्याया0/2013 सागर दिनांक 04.12.2013 (कमीशन रिट) तुलसीराम बगैरह मुस्तकीन बगैरह ने न्यायालय शाहगढ़ द्वारा सीमांकन एवं स्थल निरीक्षण करवाकर उक्त खं0नं0 का प्रतिवेदन मांगा था, जिससे प्रतीत होता है कि तहसीलदार शाहगढ़ को इस बात का ज्ञान था कि संबंधित प्रकरण चतुर्थ जिला न्यायाधीश सागर के यहां विचाराधीन है तो उक्त प्रकरण के विचाराधीन होने का ध्यान आपत्ति सहित सम्पूर्ण दस्तावेजों से दिनांक 24.04.2014 को न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ के न्यायालय में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा दिनांक 24.04.2014 को निरस्त कर दिया है, प्रकरण आगे बड़ाकर जवाब हेतु दिनांक 06.05.2014 की पेशी देकर नियत कर दिया है, जब दिनांक 24.04.2014 को प्रकरण में सुनवाई चल रही थी, तब न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ ने स्वयं अपने आदेश पत्रिका में लिखा है कि आवेदक पूर्व से ही अनुपस्थित, जबकि आवेदक दिनांक 14.03.2014 व 11.04.2014 की पेशियों पर भी अनुपस्थित रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ ने प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित क्यों नहीं समझा । जब किसी वरिष्ठ न्यायालय में संबंधित प्रश्नाधीन भूमि का प्रकरण विचाराधीन हो व कब्जा विवाद को लेकर अपने–अपने स्वामित्व को लेकर प्रकरण विचाराधीन हो व आवेदक, अनावेदक एवं स्वयं न्यायालय तहसीलदार को इस बात का ज्ञान हो तो ऐसी स्थिति में अन्य निचली अदालतों को ऐसे प्रकरणों को स्वीकार किया जाना या सुनवाई किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है, एवज धारा 250 के प्रमुख तत्वों का समावेश ही न हो तो ऐसे प्रकरण प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य होते है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अनावेदक मुस्तकीम ने मौजा अमरमऊ पटवारी हल्का नंबर 20 तहसील शाहगढ़ जिला सागर स्थित भूमि पुराना खसरा नंबर 457/8 नया नंबर 2982 रकबा 1.47 हैक्टेयर की मालिक काबिज श्रीमती प्रेमबाई पति बालचंद लुहार अमरमऊ थी ।

अनावेदक ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 28.03.2012 को खरीदी थी । अनावेदक का नाम राजस्व रिकार्ड खसरा बी–1 में दर्ज किया गया एवं मालिक की हैसियत से काबिज है । आवेदकगण ने विवादित भूमि के संबंध में एक व्यवहार वाद न्यायालय व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 बंडा के समक्ष पेश किया था जो तुलसीराम (आवेदक क्र0 1) बनाम मुस0 दशोदा बाई मृत वारसान प्रेमबाई बगैरह पेश किया था जिसकी दीवानी मुकदमा नंबर 10–अ / 2000 था, जिसमें दिनांक 20.11. 2006 को निर्णय घोषित किया उक्त वाद में उसने स्वयं को उक्त भूमि का स्वामित्व घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने की याचना की थी । सिविल जज ने उक्त वाद खारिज कर दिया एवं विक्रेता मुस0 प्रेमबाई को उक्त भूमि की मालिक काबिज माना वही भूमि अनावेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है । आवेदकगण ने अनावेदक द्वारा क्रय की गई भूमि को हड़प करने की गरज से न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश सागर के समक्ष पुनः एक नया वाद इसे आशय का प्रस्तुत किया कि पुराना खसरा नं0 457 / 18 रकबा 6.00 एकड़, खसरा नं0 457 / 8 रकबा 4.44 एकड़, खसरा नं0 2982 / 2 रकबा 1.10 एकड़ कुल 11.54 एकड़ कुल 11.54 एकड़ का वह मालिक काबिज है, प्रतिवादीगण को दखल देने से रोके जाने का निवेदन किया, जो दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् है। जिसका दीवानी मुकदमा नं0 35–अ / 2012 है । उसे बाद में तुलसीराम ने आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा पाने को आवेदन पेश किया जिसे गुणदोषों पर न्यायाधीश ने दिनांक 01.02.2013 को अपास्त कर दिया । जिसकी उसने विविध अपील माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में की जिसका क्रमांक 600 / 2013 था । जिसे भी दिनांक 18.02.2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी । उक्त आवेदन के निराकरण में समय तुलसीराम अपना मामला प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर सका । अनावेदक के स्वामित्व वाली भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा होने से बेदखल करने एवं कब्जा पाने को अनावेदक ने संहिता की धारा 250 के तहत यह आवेदन पेश किया है । अनावेदक द्वारा पेश आवेदन समय सीमा के तहत है राजस्व मण्डल ग्वालियर ने धारा 250 (1–क)(ख) के लिए परिसीमा–सीमांकन की तारीख से आरंभ होना माना ह । सीमांकन की तारीख

से दो वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है । विचारण न्यायालय के तहसीलदार शाहगढ़ ने यह सही एवं उचित निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकगण के पक्ष में उन्हें बेदखल करने से रोकने एवं अनावेदक को दखल देने से किसी वरिष्ठ न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है । इस कारण उनका आदेश विधि सम्मत है । इसके अलावा आवेदक तुलसीराम का विवादित भूमि खसरा नं0 2982 रकबा 1.47 हैक्टेयर पर अपना हक एवं स्वामित्तव किस तरह से है, उसने इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया है । आवेदक अतिक्रामक है । अतिक्रामक को विधि से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है । इस कारण उन्हें उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर अनावेदक को विधि अनुरूप कब्जा दिलाया जावे । आवेदक ने अपनी याचिका में जिन तथ्यों को उठाया है, धारा 250 की जो परिभाषा दी गई है उसमें इन तथ्यों का कोई महत्व नहीं दिया गया है न ही यह लिखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है वह कब से, किस भूमि पर और कहां पर काबिज है । इस कारण उनके तथ्य एवं आधार जो है वे निरर्थक है । जिन पर कदापि गौर नहीं किया जा सकता। पुनरीक्षण याचिका व्यर्थ है, जो परेशान करने की गरज से पेश की है । जिसे खारिज की जावे । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र में स्पष्ट लेख किया है कि विवादित भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है । जिसका वह भूमिस्वामी है । सीमांकन दिनांक 15.12.2013 के तहत उसे ज्ञात हुआ कि आवेदकगण का कब्जा है । अतः उन्हें कब्जा से हटाया जाकर, वापिस कब्जा दिलाया जावे । आवेदकगण का कब्जा नक्शा में पीले रंग से दर्शाया गया है । प्रस्तुत निगरानी याचिका में आवेदकगण ने यह नहीं बताया कि उसका उक्त भूमि में हक किस आधार पर है । बेहतर हक रखने वाला व्यक्ति सफल होता है । अनावेदक ने उक्त भूमि दिनांक 28.03.2012 को क्रय कर नामांतरण कराया । राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज है । जबकि आवेदकगण के पक्ष में किसी तरह का दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड नहीं है । आवेदकगण अवैध कब्जाधारी है, उसे विवादित भूमि से कानूनन बेदखल किया जा सकता है, इस कारण आवेदगण को बेदखल किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ ने आवेदकगण का आदेवदन दिनांक 24.04.2014 को निरस्त कर

को अवैधानिकता नहीं की है । आवेदकगण के पक्ष में किसी न्यायालय से स्थंगन आदेश नहीं है, जब स्थंगन आदेश ही नहीं है तब आवेदकगण किसी भी तरह की सहायता पाने का पात्र नहीं है । आवेदकगण ने प्रस्तुत याचिका में लेख किया है व्यवहार वाद क्रमांक 24–अ/2012 लंबित है, यह अलग मामला है, अगर उक्त व्यवहार वाद में वह सफल होता है तो वह वापिस सहायता पाने को सक्षम है । प्रस्तुत निगरानी याचिका व्यर्थ है जिस सारहीन मानकर सव्यय खारिज की जावे । इसके अलावा आवेदकगण के पक्ष में किसी तरह से हक से संबंधित दस्तावेज भी नहीं है । जब उनका विवादित भूमि पर किसी तरह से हक नहीं है । तब उनके पक्ष में किसी तरह की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती, उसी विनाय पर प्रस्तुत आवेदकगण की याचिका को आधारहीन मानकर खारिज करने की कृपा करें । विवादित भूमि अनावेदक ने रजिस्टर्ड बनाम के जरिए दिनांक 28.03.2012 को क्रय कर मालकाना हक प्राप्त किया । राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराए । सीमांकन दिनांक 15.12.2013 को किया गया जो न्यायालय के आदेश से हुआ, उस सीमांकन को कोई चुनौती नहीं दी गई । सीमांकन की तारीख से दो वर्ष के भीतर संहिता की धारा 250 के तहत यह आवेदन पेश किया जो सही है । इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत राजस्व निर्णय 1986 पेज 391 जगदीश सिंह बनाम जगदीश सिंह, राजस्व निर्णय 1984 पेज 237 रामसहाय सिंह बनाम रामलाल बगैरह एवं राजस्व निर्णय 2006 पेज नं 415 अरमान खान बनाम श्याम मोहन व अन्य उल्लेखित है । अंत में लिखित तर्क में न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न जो विचारणीय है वह केवल इतना है कि सीमांकन के उपरांत संहिता की धारा 250 के अंतर्गत जो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है वह राजस्व मंडल के निर्णयों के प्रकाश में चलाया जा सकता है. और इस कारण जो आलोच्य आदेश है वह विधिसम्मत है । प्रकरण में यह स्थिति भी आई है कि व्यवहार न्यायालय का निर्णय हो चुका है जो अनावेदक के पक्ष में रहा है और

दूसरे जो वाद प्रस्तुत किया है उसका स्वरूप भिन्न है और प्रकरण में किसी भी वरिष्ठ न्यायालय या व्यवहार न्यायालय की ओर से कार्यवाही पर रोक का कोई आदेश नहीं है । इस समस्त स्थिति को देखते हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह अपने स्थान पर उचित न्यायिक और विधिसम्मत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल,)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर